

कार्यालय, नगर पालिक निगम, भिलाई
//आदेश//

कं./जन स्वा.वि./ 778 /2020/

भिलाई, दिनांक 13/3/20

छत्तीसगढ़ शासन नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग मंत्रालय नवा रायपुर, अटल नगर के पत्र क्रमांक स.न.प्रशा./2020/38 नवा रायपुर, अटल नगर दिनांक 13.03.2020 के अनुसार नोवल कोरोना वायरस (COVID-19) से संक्रमण की रोकथाम एवं नियंत्रण हेतु राज्य शासन द्वारा यह निर्णय लिया गया है कि, नगरीय निकायों की सीमा के अन्तर्गत स्थित समस्त सार्वजनिक पुस्तकालय (लायब्रेरी) तथा शासकीय/अर्द्धशासकीय/निजी, व्यायाम शाला (जिम), तरणताल (स्वीमिंग पूल) एवं वाटर पार्क को 31 मार्च 2020 तक अनिवार्य रूप से बंद रखा जावे।

कृपया उक्त आदेश का पालन कड़ाई से किया जाना सुनिश्चित करें।


(ऋतुराज रघुवंशी)
आई.ए.एस.
आयुक्त
नगर पालिक निगम
भिलाई

पू.कं./जन स्वा.वि./ 779 /2020
प्रतिलिपि :-

भिलाई, दिनांक 13/3/20

1. महापौर, नगर पालिक निगम, भिलाई को सूचनार्थ सम्प्रेषित।
2. सचिव छत्तीसगढ़ शासन नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग मंत्रालय नवा रायपुर, अटल नगर को सूचनार्थ सम्प्रेषित।
3. कलेक्टर दुर्ग, जिला-दुर्ग को सूचनार्थ सम्प्रेषित।
4. उपायुक्त - I/II, नगर पालिक निगम, भिलाई को सूचनार्थ।
5. अधीक्षण अभियंता- I/II, नगर पालिक निगम, भिलाई को सूचनार्थ।
6. जोन आयुक्त, जोन कं. नगर पालिक निगम भिलाई को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
7. जन सम्पर्क अधिकारी, नगर पालिक निगम, भिलाई को सूचनार्थ।
8. स्वास्थ्य अधिकारी, नगर पालिक निगम भिलाई को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
9. सर्व संबंधित विभाग प्रमुख अ.व.व. नगर पालिक निगम भिलाई को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
10. प्र.जोन स्वास्थ्य अधिकारी, जोन कं. नगर पालिक निगम भिलाई को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।


आयुक्त
नगर पालिक निगम
भिलाई